

13-3-24 अन्तर्गत न्याय से-अस्त  
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.  
P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है।  
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक  
8-5-24 को पेश हो

8-5-24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.  
P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है।  
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक  
10-7-24 को पेश हो

10-7-24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।  
सम्मन पेश करने हेतु समय चाहा। समय दिया  
जाकर पत्रावली दिनांक 9-10-24 को पेश हो

9-10-24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.  
P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है।  
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक  
18-12-24 को पेश हो

18-12-24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.  
P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है।  
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक  
19-3-25 को पेश हो

27-2-25 वकील वादी द्वारा प्रार्थना-प्र वास्ते धारा 151 C.P.C.  
के तहत राजस्व वाद को विद्वा करने तथा नये तथ्यों  
के साथ पुनः राजस्व वाद प्रस्तुत करने की अनुमति  
प्रदान करने वास्तु पेश करने पर पत्रावली तलब की  
गई। वकील वादी उपस्थित।

प्रस्तुत प्रार्थना-प्र पर वकील वादी को सुना  
गया। तदनुसार उक्त राजस्व वाद को विद्वा करने एवं  
नये तथ्यों के साथ पुनः राजस्व वाद प्रस्तुत करने  
की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली फंसल कुमार देकर नम्बर से  
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)